14500 एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने पिछले पांच साल में देशभर में। इस साल अभी तक 1808 एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद किया गया है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी।

खूंटी सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में फादर अल्फोंस सहित छह बरी

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के खूंटी जिले के कोचांग में पांच महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे मामले में आरोपित फादर अल्फोंस आईद को बड़ी राहत मिली है। खूंटी की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में फादर अल्फोंस सहित छह आरोपितों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों में फादर अल्फोंस आईद, झारी सामद उर्फ टकला, अजुन सांडीपुर्ति, जोनास मुंडा, जॉन जुनास तिड़ू, और बलराम सामद शामिल हैं। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहली दुष्कर्म पीड़िता की ओर से और दूसरी एनजीओ संचालक संजय शर्मा ने दर्ज कराई थी। पहले मामले में निचली अदालत ने 17 मई 2019 को फादर अल्फोंस सहित छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन दूसरे मामले में अभियोजन मामला साबित करने में नाकाम रहा। इस कारण अदालत ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया।

यह है मामला : खूंटी में पत्थलगड़ी के दौरान नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक करने पहुंची पांच महिलाओं के साथ जून 2018 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें फादर अल्फोंस आईद सहित छह को आरोपित बनाया गया था।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को अनुमति का फैसला 'अंतिम' नहीं

टिप्पणी ▶ शीर्ष अदालत ने कहा, बड़ी पीठ को भेजा गया है मामला

महिला श्रद्धालु की हमले की शिकायत पर सुनवाई अगले सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

▶ श्रद्धालु बिंदू अम्मिनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलों पर कोर्ट ने कहा

▶ वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है, मंदिर में प्रवेश पर हमला हुआ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाला उसका फैसला 'अंतिम' नहीं है। इसका कारण यह है कि इसे बड़ी पीठ को भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने महिला श्रद्धालु बिंदू अम्मिनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलों पर यह टिप्पणी की। वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन हो रहा है और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान उनकी मुवक्किल पर हमला किया गया। कोर्ट बिंदू की याचिका समेत इस तरह की अन्य याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई को तैयार हो गया है। एक अन्य महिला फातिमा भी इसी तरह की याचिका लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 2018 का फैसला अंतिम नहीं है, क्योंकि वह मुद्दा सात जजों की पीठ के पास विचार के लिए भेजा गया है।

पीठ ने कहा, 'मामले में फैसला के लिए इसे बड़ी पीठ को भेजने का आदेश है। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।'

उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से शीर्ष कोर्ट के 2018 के ऐतिहासिक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजने का आदेश दिया था। नई पीठ मुस्लिम और पारसी महिलाओं के साथ कथित भेदभाव पर भी विचार करेगी। गौरतलब है कि सितंबर, 2018 में पांच जजों की एक संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत वाले फैसले में अयप्पा मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की यह कहते हुए इजाजत दी थी कि शारीरिक स्थिति के आधार पर भेदभाव संविधान प्रदत्त समानता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जयसिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल पर पुलिस आयुक्त के कार्यालय के ठीक बाहर हमला किया गया। शीर्ष अदालत ने 14 नवंबर के आदेश में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने वाले अपने पूर्व फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा, 'बिंदू पर कुछ रासायनिक पदार्थों से हमला किया गया था।'

इसके बाद पीठ ने महिला श्रद्धालु की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की सहमति दे दी। पीठ ने कहा कि यह याचिका पूर्व की दूसरी याचिकाओं के साथ अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

लखनऊ-आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ेंगे फास्टैग लगे वाहन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नेशनल हाईवे के बाद उप्र सरकार के एक्सप्रेस वे पर भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) और यूपी एक्सप्रेस वे डेवलमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के बीच अनुबंध हुआ है। फिलहाल लखनऊ-आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर इसे लागू किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी फास्टैग लगे वाहन ही फर्राटा भर पाएंगे।

देशभर के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली के लिए फास्टैग सिस्टम 15 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। केवल एक लेन छोड़ कर बाकी सभी लेन पर टोल भुगतान कैशलेस हो जाएगा। इससे वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से निकल जाएंगे। फिलहाल इस व्यवस्था को एक्सप्रेस वे का संचालन करने वाली एजेंसी यूपीडा नहीं अपना रही थी।

एनएचएआइ के रीजनल आफिसर अब्दुल बासित ने बताया कि यूपीडा के एनएचएआइ के साथ एमओयू किया है, जिसमें एक्सप्रेस वे भी फास्टैग से लैस होंगे। वे भी एनएचएआइ की तर्ज पर पूरी व्यवस्था को लागू करेंगे।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे: आठ लेन में 302 किमी लंबा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आगरा के बीच नौ जिलों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे छह लेन में 165 किमी लंबे मार्ग आगरा को नोएडा से जोड़ता है।

छग फर्जी मुठभेड़ पर गर्माया माहौल, आदिवासी लामंबद

नईदुनिया, जगदलपुर

▶ मानवाधिकार कार्यकर्ता पहुंचे सारकेगुड़ा, आज कराएंगे एफआइआर

▶ अगर पुलिस ने आनाकानी की तो थाने के सामने ही सत्याग्रह किया जाएगा

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला स्थित सारकेगुड़ा में नक्सलियों के नाम पर हुए नरसंहार पर आदिवासी और सामाजिक संगठन लामबंद होने लगे हैं। बड़े आंदोलन की तैयारी के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों की टीम सारकेगुड़ा पहुंच गई है। गुरुवार देर शाम वकीलों ने सारकेगुड़ा के पीड़ितों से चर्चा की और उन्हें थाने में एफआइआर कराने के लिए तैयार किया। शुक्रवार सुबह बासागुड़ा थाने में एफआइआर कराने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

दिल्ली से पहुंचे मानवाधिकार कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से कहा कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, आइजी इंटेलिजेंस मुकेश गुप्ता, सीआरपीएफ व पुलिस के अफसरों समेत वारदात में शामिल जवानों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने और फर्जी आरोप गढ़ने की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा।

अगर पुलिस ने एफआइआर करने में आनाकानी की तो थाने के सामने ही सत्याग्रह किया जाएगा। हाई कोर्ट बिलासपुर से पहुंचे वकील किशोर नारायण ने सारकेगुड़ा के ग्रामीणों का बयान लिया और उसके आधार पर एफआइआर की कॉपी तैयार की। इस मामले की लड़ाई लड़ने वाली कमला काका रिपोर्ट दर्ज कराएंगी जबकि अन्य पीड़ित गवाह बनेंगे।

मौके पर आदिवासी नेत्री सोनी सोरी, मानवाधिकार संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के प्रदेशाध्यक्ष डिग्री प्रसाद चौहान तथा कमल बघेल भी मौजूद हैं। यह टीम सारकेगुड़ा में ही रात गुजारेगी और सुबह थाना कूच करेगी। सारकेगुड़ा मामले में जस्टिस अग्रवाल आयोग की रिपोर्ट को सामाजिक संगठन बड़ी जीत मान रहे हैं।

यह है मामला

28 जून 2012 को बीजापुर व बासागुड़ा से निकले कोबरा बटालियन व सीआरपीएफ जवानों ने सारकेगुड़ा गांव में ग्रामीणों पर गोलियां चलाईं जिसमें 17 ग्रामीण मारे गए। मृतकों में आठ स्कूली बच्चे भी शामिल थे। ग्रामीण फर्जी मुठभेड़ की जांच की मांग लेकर मानवाधिकार आयोग तक पहुंचे। तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने मुद्दे को आगे बढ़ाया। भाजपा सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया है। मीडिया में रिपोर्ट लीक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट विधानसभा में भी पेश की जा चुकी है।

मप्र के रीवा में ट्रक से भिड़ी बस, नौ की मौत

नईदुनिया, रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से करीब 32 किमी दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर भीषण सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। हादसा गुरुवार सुबह करीब सवा छह बजे जबलपुर से सिंगरौली जा रही यात्री बस के खड़े ट्रक से टकराने से हुआ। घायलों के मुताबिक, दुर्घटना का कारण चालक को झपकी आना था।

मृतक सीधी और रीवा जिले के हैं। इनमें तीन लोग एक ही परिवार के हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। रीवा के कमिश्नर डॉ. अशोक भार्गव ने बताया कि चालक का लाइसेंस, बस का परमिट और फिटनेस निरस्त कर दिया गया है। मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार और सामान्य घायलों को 25-25 हजार रुपये की मदद की घोषणा की है।

हिसार में ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई कार, चार युवकों की मौत: वहीं, हरियाणा के हिसार में दिल्ली बाइपास रोड पर बहुतकनीकी संस्थान के पास पलटी ट्रैक्टर ट्राली से बुधवार देर रात कार टकरा गई। इससे कार में सवार छह में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। सभी मृतक चरखी दादरी जिले के रहने वाले थे।

छात्र आंदोलन स्थल से हार्दिक पटेल को धक्के मारकर निकाला

शत्रुन शर्मा, अहमदाबाद

▶ गैर सचिवालय कर्मचारी भर्ती परीक्षा रद करने की मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन में पहुंचे थे कांग्रेस नेता

गैर सचिवालय कर्मचारी भर्ती परीक्षा रद करने की मांग को लेकर गांधीनगर में आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों व सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एसआइटी जांच की बात कही है, लेकिन छात्रों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को नकार दिया है। उधर धरना स्थल पर आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को धक्के मारकर छात्रों ने बाहर निकाल दिया।

आंदोलन कर रहे हजारों छात्र बीते दो दिनों से गांधीनगर में जमे हैं। सरकार भर्ती परीक्षा में अनियमितता की एसआइटी जांच कराने को तैयार है, लेकिन छात्रों की मांग है कि परीक्षा रद की जाए और पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान सचिव के कैलासनाथन व गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के साथ चर्चा करने के बाद कहा कि सरकार इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच को तैयार है। सरकार ने एसआइटी के गठन के भी संकेत दिए। इसके बाद हालांकि, छात्र नेता युवराज सिंह ने आंदोलन समेटने के संकेत दिए, लेकिन दूसरे छात्र परीक्षा रद होने तक वहां डटे रहने पर अड़े हुए हैं। गुरुवार दोपहर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल भी आंदोलन के समर्थन में पहुंचे, लेकिन छात्रों ने उन्हें धक्के मारकर धरना स्थल से बाहर निकाल दिया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, वरिष्ठ नेता शंकरसिंह वाघेला व करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने भी आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि आंदोलन के नाम पर हम किसी दूसरे को राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं। करीब दो सप्ताह से इस मामले को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तब कोई नेता मदद को नहीं आया। बता दें कि गुजरात सेवा भर्ती मंडल की ओर से गैर सचिवालय कर्मचारियों के तीन हजार पदों के लिए 19 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया था। गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का कहना है कि साबरकांठा, मेहसाणा, गीर सोमनाथ, पालनपुर समेत पांच जिलों में पेपरलीक होने व नकल की शिकायतें मिली हैं।

2014 से रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय उद्योगों के साथ 180 करार किए

नई दिल्ली, आइएएनएस : रक्षा मंत्रालय ने 2014 से अब तक लगभग दो लाख करोड़ रुपये के 180 से ज्यादा रक्षा सौदे करार किए हैं। कुछ करार विचाराधीन हैं जिनपर निकट भविष्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को मंत्रालय ने दी।

फरवरी 2015 में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट 17ए के तहत युद्ध पोत बनाने का करार हुआ था। यह करार 45 हजार करोड़ रुपये का था। अक्टूबर 2018 में हुए करार के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को प्रोजेक्ट पी1135.6 के तहत दो युद्ध पोत बनाने का करार हुआ था। यह करार लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का था।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ वायुसेना के लिए 41 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और नौसेना के लिए 32 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाने का करार हुआ है। 2017 में हुआ करार लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का है। इसके अलावा एचएएल के साथ फरवरी 2015 में हुए करार के तहत 1100 करोड़ रुपये के 14 डोर्नियर 228 विमान खरीदे गए हैं।

अनुशासनहीन छात्रों को मिले सुधरने का मौका : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

अनुशासनहीन छात्रों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुधार व पुनर्वास स्कीम लागू करने की जरूरत है। यह कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि वह अनुशासनहीनता के आरोपित छात्रों के विकास, सुधार व पुनर्वास की स्कीम लागू करें। जिससे छात्रों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने से पहले उन्हें सुधरने का अवसर मिल सके।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने छात्र अनंत नारायण मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका में कुलसचिव बीएचयू वाराणसी के 30 मार्च 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत आरोपित छात्रों के विशेषाधिकार व परिसर के भीतर के क्रियाकलापों पर रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मामले में लंका थाना में दर्ज शिकायत पर इनके दोषमुक्त होने तक वे निलंबित रखे जाएंगे। गौरतलब है कि 28 जनवरी 2019 को बीएचयू के एक प्रोफेसर कक्षा में जा रहे थे, तभी उन पर हमला कर जातिसूचक टिप्पणी की गयी। इसको लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोर्ट ने सुनवाई के साथ आरोपित छात्रों को कोर्स पूरा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

विभिन्न पहलुओं पर किया विचार

हाई कोर्ट ने इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों, मानवाधिकारों, छात्रों व समाजहित को दृष्टिगत रखकर रहा कि विश्वविद्यालय ऐसी कार्यवीजना तैयार करे, जिससे छात्रों को सुधरने मौका मिले।

छह माह में लागू हो स्कीम

हाई कोर्ट ने सुधार व पुनर्वास स्कीम को छह माह व अधिकतम एक साल में लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कार्य में जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है।

500 ग्राम दूध 63 बच्चों को पिलाने के मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

जागरण संवाददाता, जौनपुर : उप्र के मछलीशहर ब्लाक के अइलहा प्राथमिक विद्यालय में पाउडर वाला 500 सौ ग्राम दूध 63 बच्चों को पिलाने के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक बांकेलाल पांडेय को निलंबित कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी शैलपति यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि दी। बुधवार को जागरण पड़ताल में मामला उजागर होने पर गुरुवार सुबह निरीक्षण करने पहुंचे बीएसए राजेंद्र प्रसाद ने यह कार्रवाई की। उन्होंने एबीएसए को निर्देशित किया कि वह विद्यालयों में जाकर एमडीएम की गुणवत्ता जरूर परखें। इस दौरान प्रधानाध्यापक दूसरे दिन भी विद्यालय से गैरहाजिर मिले। एबीएसए भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी शैलपति यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि दी।

गाजीपुर में एमडीएम दूध पीकर पांच बच्चे बीमार: उप्र स्थित गाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में बुधवार को मिड-डे-मील में खिचड़ी व दूध पीने वाले कक्षा एक के पांच बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। एक-एक कर अभिभावक बच्चों को लेकर निजी चिकित्सकों के यहां पहुंचे तो मिड-डे-मील में गड़बड़ी का पता चला।

विधेयक का विरोध

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में गुरुवार को असम के गुवाहाटी में कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ही मंजूरी दी थी। प्रेट्र

अब किसी भी जहाज की तलाशी व जब्ती कर सकेगा तटरक्षक बल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय तटरक्षक बल अब और ताकतवर हो गया है। तटरक्षक कानून के तहत अब वह देश के समुद्री क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध जहाज की तलाशी व जब्ती तथा आरोपित की गिरफ्तारी कर सकेगा। समुद्री सुरक्षा एजेंसी को पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर सवार होने की भी अनुमति नहीं थी। रक्षा सचिव अजय कुमार ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'भारतीय तटरक्षक को सशक्त बनाते हुए तटीय सुरक्षा बढ़ाई गई है।' रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, तटरक्षक कानून-1978 के तहत केंद्र सरकार तटरक्षक बल के हर सदस्य को किसी भी संदिग्ध जहाज पर जाने, उस पर सवार होने, उसकी तलाशी लेने और उसे जब्त करने या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। तटरक्षक बल के जवान ऐसे किसी भी कृत्रिम द्वीप या तैरती वस्तु या जल के नीचे किसी भी चीज को जब्त कर सकेंगे, जिनके किसी अपराध में शामिल होने का संदेह हो। इससे पहले तटरक्षक बल ईईजेड में जहाजों पर सवार होने या उन्हें जब्त करने के लिए सीमा शुल्क कानून, एनडीपीएस कानून और अन्य कानूनों का इस्तेमाल करता था। अधिकारियों ने बताया कि इसे जरूरी कानूनी समर्थन नहीं प्राप्त था और कई मामले कोर्ट में ही गिर जाते थे। जहाज कंपनियों के पास कानून से बचने के कई रास्ते थे। वे बिना किसी अधिकार के जहाज को रोकने पर तटरक्षक बल के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती थीं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समुद्री सुरक्षा बल वर्ष 2009 से ही क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ (तटों के निकट अपेक्षाकृत संकरी व उथली सागरीय पेटी), विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम-1976 के तहत ज्यादा अधिकार दिए जाने की मांग कर रहा था।

उप्र के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद ने किया कच्चे-पक्के मकानों पर सेना की कार्रवाई का विरोध

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

संगम से लगे परेड मैदान में सेना की ओर से चलाई जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जताई है। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि इस मामले में श्लामंत्री से मुलाकात की जाएगी। इससे पहले 10 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी। जरूरत पर संत महात्मा संगम पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ समय से संगम से लगे परेड मैदान में विभिन्न कच्चे-पक्के निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। सेना समाज इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी इसमें आगे आया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का सवाल है कि यदि संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित, साधु संन्यासी नहीं रहेंगे, प्राचीन मठ मंदिर नहीं रहेंगे तो वहां तीर्थ यात्रियों की सेवा कैसे हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को हरिद्वार में होने वाली बैठक में इस कार्रवाई के विरोध में प्रस्ताव पारित कर संत महात्मा, श्लामंत्री से मिलेंगे। फिर भी यदि सेना की कार्रवाई बंद नहीं हुई तो संत महात्मा संगम पर विरोध जताएंगे।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...गरीबों का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)
दिनांक: 02.12.2019, स्थान: गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

बढ़ा विवाद

कहा था, गुजरात की सलाह मानते नरसिम्हा राव तो नहीं होते दंगे, शिअद, भाजपा और राव के पौत्र ने राजीव गांधी पर उठाई अंगुली

सिख विरोधी दंगे पर बयान देकर घिरे मनमोहन

नई दिल्ली, एएनआइ : 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह चौतरफा घिर गए हैं। शिरोमणी अकाली दल (शिअद) और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दंगों के लिए सीधे-सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषी ठहराया। वहीं, राव के पौत्र और भाजपा नेता एनवी सुभाष ने सवाल किया कि क्या कोई गृह मंत्री कैबिनेट मंजूरी के बिना फैसला ले सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मनमोहन सिंह ने कहा था, 'जब 1984 की दुखद घटना (तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या) हुई थी तो उसी शाम गुजराल जी तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव के पास गए और उनसे कहा कि हालात इस कदर खराब हैं कि सरकार को जल्द से जल्द सेना बुलाना जरूरी है। अगर उस सलाह पर ध्यान दिया गया होता तो 1984 में जो कत्लेआम हुआ उसे रोका जा सकता था।' शिरोमणि अकाली दल (शिअद) विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने मनमोहन के बयान को सनसनीखेज बताते हुए कहा, वे (शिअद) पिछले 35 साल से यही कह रहे हैं कि यह कत्लेआम किसी और द्वारा नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने कहा, 'मनमोहन सिंह के बयान से बिल्कुल साफ है कि

मनमोहन सिंह। फाइल

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने नरसिम्हाराव को सेना नहीं बुलाने के निर्देश दिए थे और तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा नीचे तक संदेश दिया गया था कि कत्लेआम के हमलावरों और गुंडों को संरक्षण दिया जाए।' उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'मनमोहन सिंह जी, किसी समस्या से निपटने के लिए सेना को आदेश देना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सच यह है कि राजीव गांधी ने खुलेआम कत्लेआम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता ही है। उनके ये शब्द समर्थन करने वाले ही थे।' नरसिम्हा राव के पौत्र और भाजपा नेता एनवी सुभाष ने सवाल किया कि क्या कोई गृह मंत्री कैबिनेट की मंजूरी के बिना स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सेना बुला ली गई होती तो अनर्थ हो जाता।

दंगे के दोषी कांग्रेस और गांधी परिवार, माफी मांगें : हरसिमरत

नईदुनिया, देवास: 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि इस कत्लेआम के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार ही दोषी है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हरसिमरत कौर गुरुवार को मप्र के देवास जिले के बिजाना में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करने आई थीं। उन्होंने कहा कि 1984 का कत्लेआम कांग्रेस पर काला दाग है, जो कभी नहीं धुलेगा। लगातार तीन दिन तक पास ही मौजूद आर्मी की मदद नहीं ली गई। सिखों को मरने दिया गया। आज भी दोषी दोनों को बचाकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है। बादल ने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस को इस पर माफी मांगना चाहिए।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...गरीबों का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
शाखा: जी.टी. रोड, निकट घंटा घर, गाजियाबाद
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)
दिनांक: 02.12.2019, स्थान: गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक